<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री प्रधान ट्रेडिंग कम्पनी, डी-18, इन्ड0 एरिया, मेरठ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**61 / 11**
प्रार्थी की ओर से	**श्री शिव कुमार गुप्ता, अधिवक्ता।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

1. व्यापारी द्वारा धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र संख्या-61 / 11, दिनांक 21.06.11 प्रस्तुत किया गया है जिसके माध्यम से **मेंहदी कोन (मेंहदी पेस्ट)** पर कर की दर जाननी चाही गयी है ?

2. फर्म की ओर से श्री शिव कुमार गुप्ता, अधिवक्ता उपस्थित हुए तथा उनके द्वारा बताया गया कि वह मेंहदी कोन में मेंहदी का पेस्ट तैयार कर मेंहदी की बिक्री का कार्य करते हैं। उन्होंने अवगत कराया कि मेंहदी कोन में बिक्रीत मेंहदी वास्तव में मेंहदी रहती है तथा यह उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 के क्रमांक-23 के अन्तर्गत मेंहदी की पत्ती व उसका पाउडर के अन्तर्गत आने के कारण कर मुक्त होनी चाहिए। उन्होंने अपने द्वारा निर्मित मेंहदी कोन (मेंहदी पेस्ट) की रासायनिक संघटक से सम्बन्धित GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI DRUGS CONTROL DEPARTMENT, 15, SHAMNATH MARG,DELHI के पत्रांक-1511 / cos / Dc / 2006 / 763, दिनांक 24.04.07 से विश्लेषणात्मक आख्या प्रस्तुत की है जिसके अनुसार मेंहदी कोन में टरपेन्टाइन ऑयल (1 से 3% तक), यूक्लिपटस ऑयल (0.5 से 2% तक), लौंग का तेल (0.1 से 1% तक), मेंहदी का पाउडर (22 से 32% तक), सी0 एम0 सी0 (0.5 से 2% तक), मिनिरल वाटर (95 से 100% तक) तथा पिजरवेटिव (13% तक) होता है।

3. उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-23 निम्नवत है :-

23	Kumkum, Bindi, Alta & Sindur, roli, mahawar, **mehndi leaves and its powder**, kajal, surma, hairpins, hairband, hair clip, (other than that of precious metal), rubber band , safety pin , chutila, bichhia and rakhi ; Moonga or moti made of glass (*vide Noti.no.-KA.NI-2-67/XI-9(1)/08....dated10-01-08 effective from 1-1-08)*

4. ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर, गाजियाबाद सम्भाग-ए द्वारा अपने पत्रांक-1152, दिनांक 16.07.11 के द्वारा आख्या प्रेषित की गई है जिसके अनुसार व्यापारी द्वारा निर्मित मेंहदी कोन उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि सख्यां-23 के अन्तर्गत नहीं आती है क्योंकि व्यापारी द्वारा निर्मित मेहदी कोन का जो पेस्ट होता है वह मेंहदी की पत्ती व उसके पाउडर से भिन्न होता है क्योंकि मेंहदी कोन तैयार करने में कई तरह के कैमिकल का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार मेंहदी पाउडर को कैमिकल के साथ मिक्स करने के बाद बनने वाला पेस्ट, मेंहदी पाउडर से भिन्न एक नई वस्तु होती है। इस प्रकार मेंहदी

......2

कोन एक प्रकार का कास्मैटिक Prepration है जो अवर्गीकृत की श्रेणी में आता है। अत: इस पर अवर्गीकृत वस्तु की भाँति करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा व्यापारी के प्रार्थना-पत्र, पत्रावली एवं अभिलेखों आदि का परिशीलन किया गया। पाया गया कि व्यापारी द्वारा जो मेंहदी कोन (मेहदी पेस्ट) का निर्माण किया जाता है उसमें उनके द्वारा मेंहदी के अतिरिक्त कई अन्य कैमिकल मिलाकर तैयार किया जाता है। अत: यह मेंहदी की पत्ती व उसका पाउडर (mehndi leaves and its powder) के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-1 की प्रविष्टि संख्या-23 के अन्तर्गत नहीं आता है। इसके अतिरिक्त मेंहदी कोन (मेंहदी पेस्ट) उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की किसी अन्य अनुसूची-1, 2, 3 एवं 4 में वर्गीकृत भी नहीं है अत: **मेंहदी कोन (मेंहदी पेस्ट)** पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% (अतिरिक्त कर अतिरिक्त) की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 26 जुलाई, 2011

ह0 / 26.07.2011

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।